सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 251 /सो.आ.नि.–3/501/2020
दिनाँक: 11 अगस्त, 2020

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः– महात्मा गॉधी नरेगा योजना के अन्तर्गत समवर्ती सोशल आडिट की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सोशल आडिट निदेशालय के पत्रांक 86/सो.आ.नि.–3/501/2020 दिनांक 04–06–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। महात्मा गॉधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के द्वारा समवर्ती सोशल आडिट का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है तथा रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त (मनरेगा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर पाई गई कमियों/प्रकरणों का निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

1– ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स द्वारा समवर्ती सोशल आडिट के अन्तर्गत कार्यस्थलों के सत्यापन की प्रत्येक दिन की रिपोर्ट पूर्व निर्धारित प्रारूप पर कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को देते हुए उसकी प्रतिलिपि उपायुक्त (मनरेगा) एवं जिला विकास अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर ग्राम पंचायतवार ए0टी0आर0 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संलग्न **प्रपत्र–स0सो0आ0–ए** पर प्राप्त की जाएगी।

2– उपायुक्त (मनरेगा) द्वारा विभिन्न विकास खण्डों में किए गए समवर्ती सोशल आडिट सत्यापनों में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या, कार्यक्रम अधिकारी से प्रत्येक बुधवार को **प्रपत्र– स0सो0आ0–बी** पर प्राप्त की जाएगी।

3– उपरोक्त साप्ताहिक अनुपालन आख्या संकलित कर उपायुक्त (मनरेगा) द्वारा प्रत्येक बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी को समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

4– उपरोक्त साप्ताहिक अनुपालन आख्या के आधार पर समवर्ती सोशल आडिट में इंगित कमियों की मासिक अनुपालन आख्या प्रत्येक माह की 5 तारीख को उपायुक्त (मनरेगा) द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से संलग्न **प्रपत्र– स0सो0आ0–सी** पर ई–मेल द्वारा नरेगा सेल को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला विकास अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट को सोशल आडिट निदेशालय में ई–मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा माह जुलाई तक सम्पादित समवर्ती सोशल आडिट में पाई गई कमियों की अनुपालन आख्या एवं प्रकरणों के क्लोज होने के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है, जिसके क्रम में माह जून व जुलाई की प्रगति रिपोर्ट उपरोक्त मासिक प्रगति **प्रपत्र– स0सो0आ0–सी** पर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने तथा समवर्ती सोशल आडिट में पाई गई कमियों के निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही की नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(योगेश कुमार)
निदेशक

11.08.2020

पत्रांक– /सो0आ0नि0– /2020 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (उपरोक्त जनपदों को छोड़कर) उ0प्र0।
2– समस्त जिला विकास अधिकारी, (उपरोक्त जनपदों को छोड़कर) उ0प्र0।
3– समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, (उपरोक्त जनपदों को छोड़कर) उ0प्र0।

(योगेश कुमार)
निदेशक

प्रपत्र- स०सो०आ०-ए

ग्राम पंचायत वार कृत कार्यवाही का विवरण कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने हेतु फॉर्मेट

महात्मा गांधी नरेगा योजना

समवर्ती सोशल आडिटः पाई गई कमियों पर कृत कार्यवाही

जनपद	विकासखण्ड ....
ग्राम पंचायत	परियोजना का नाम ....
समवर्ती सो०आ० दिनांक	

क्र० सं०	परीक्षण के बिन्दु	मामलों की सं०	मामले का व्याख्यात्मक विवरण	निस्तारित प्रकरणों की सं०	निस्तारित न हो पाने वाले प्रकरणों की सं०	प्रकरण निस्तारित न हो पाने का कारण (विवरण सहित)
1	जॉब कार्ड धारकों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध न होना।					
2	श्रमिकों को काम की मांग की रसीद न दिया जाना।					
3	मस्टर रोल को वर्कसाइट पर न भरा जाना।					
4a	नियोजित मजदूर के सापेक्ष मौके पर कार्यरत श्रमिकों की सं० में अंतर।					
4b	मौके पर कार्यरत मजदूर एवं मस्टररोल पर उपस्थिति दर्ज श्रमिकों की सं० में अंतर।					

4c	NMMS (New Mobile Monitoring System) से श्रमिकों की उपस्थिति न लिया जाना।					
5	परियोजना के लिए सूचना बोर्ड उपलब्ध न होना।					
6	श्रमिकों को मस्टररोल में दर्शित मजदूरी के अनुसार भुगतान न होना।					
7	प्रथमदृष्टया कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न होने वाली परियोजनाएं।					
8	कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने वाली परियोजनाएं।					
9	वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रकरण।					

प्रपत्र- स०सो०आ०-बी						
कार्यक्रम अधिकारी द्वारा साप्ताहिक कृत कार्यवाही का विवरण उपायुक्त (मनरेगा) को उपलब्ध कराए जाने हेतु फॉर्मेट						
महात्मा गांधी नरेगा योजना समवर्ती सोशल आडिटः पाई गई कमियों पर कृत कार्यवाही						
जनपद				विकासखण्ड		
सत्यापित कार्यों की सं०				ग्राम पंचायतों की सं०		
समवर्ती सो०आ० की अवधि						
क्र० सं०	परीक्षण के बिन्दु	मामलों की सं०	निस्तारित प्रकरणों की सं०	निस्तारित प्रकरणों में से संतोषजनक क्लोज किए जाने योग्य प्रकरण	निस्तारित न हो पाने वाले प्रकरणों की सं०	प्रकरण निस्तारित न हो पाने का कारण (विवरण सहित)
1	जॉब कार्ड धारकों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध न होना।					
2	श्रमिकों को काम की मांग की रसीद न दिया जाना।					
3	मस्टर रोल को वर्कसाइट पर न भरा जाना।					
4a	नियोजित मजदूर के सापेक्ष मौके पर कार्यरत श्रमिकों की सं० में अंतर।					

4b	मौके पर कार्यरत मजदूर एवं मस्टररोल पर उपस्थिति दर्ज श्रमिकों की सं० में अंतर।					
4c	NMMS (New Mobile Monitoring System) से श्रमिकों की उपस्थिति न लिया जाना।					
5	परियोजना के लिए सूचना बोर्ड उपलब्ध न होना।					
6	श्रमिकों को मस्टररोल में दर्शित मजदूरी के अनुसार भुगतान न होना।					
7	प्रथमदृष्ट्या कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न होने वाली परियोजनाएं।					
8	कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने वाली परियोजनाएं।					
9	वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रकरण।					

प्रपत्र- स०सो०आ०-सी

जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार तैयार मासिक रिपोर्ट का प्रारूप

महात्मा गांधी नरेगा योजना

समवर्ती सोशल आडिटः पाई गई कमियों पर कृत कार्यवाही

जनपद	विकासखण्डों की सं० जहाँ माह में समवर्ती सो०आ० किया गया ....
ग्राम पंचायतों की सं० जहाँ माह में समवर्ती सो०आ० किया गया	कुल सत्यापित श्रमिकों की सं० ....
कुल सत्यापित कार्यों की सं०	समवर्ती सो०आ० का माह ....

क्र० सं०	परीक्षण के बिन्दु	मामलों की सं०	संतोषजनक निस्तारित प्रकरणों की सं०	निस्तारित न हो पाने वाले प्रकरणों की सं०	प्रकरण निस्तारित न हो पाने का कारण (विवरण सहित)	पदाधिकारियों (functionaries) की सं0 जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई (censured/ warned/ fined/ levied penalty/ suspended/ terminated)
1	जॉब कार्ड धारकों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध न होना।					
2	श्रमिकों को काम की मांग की रसीद न दिया जाना।					
3	मस्टर रोल को वर्कसाइट पर न भरा जाना।					
4a	नियोजित मजदूर के सापेक्ष मौके पर कार्यरत श्रमिकों की सं० में अंतर।					

4b	मौके पर कार्यरत मजदूर एवं मस्टररोल पर उपस्थिति दर्ज श्रमिकों की सं० में अंतर।					
4c	NMMS (New Mobile Monitoring System) से श्रमिकों की उपस्थिति न लिया जाना।					
5	परियोजना के लिए सूचना बोर्ड उपलब्ध न होना।					
6	श्रमिकों को मस्टररोल में दर्शित मजदूरी के अनुसार भुगतान न होना।					
7	प्रथमदृष्टया कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न होने वाली परियोजनाएं।					
8	कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने वाली परियोजनाएं।					
9	वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रकरण।					